ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00049

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 29/2019

1. दौलतराम पुत्र मोडूराम जाति मेघवाल निवासी 31 जीजी तताारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. बलदेव सिंह पुत्र बैसाखा सिंह जाति रामगढिया निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरचरण सिंह पुत्र बैसाखा सिंह जाति रामगढिया निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीशराय जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बरी 4, चांदनी चौंक पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. जगदीशराय पुत्र मल्लूराम जाति कुम्हार निवासी गली नम्बर 03, गणपति नगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान–जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्व आदेश तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर दिनांक 23.08.2011 जिसकी रूह से चक 31 जीजी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/29 मुरब्बा नम्बर 2,7,8 की कुल 7.775 हैक्टर का विभाजन गलत व यकतरफा तौर पर करते हुए मुरब्बा नम्बर 02, के किला नम्बर 6,7,8 की 0.481 हैक्टर किलावाईज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम शिविर पंचायत समिति, श्रीगंगानगर दिनांक 23.08.2011 में विभाजन का आदेश बिना अपीलांट व अन्य सहखातेदारों को बुलाए सुने पारित किया गया बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित :

1. श्री रणजीत सारडीवाल, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री अरविन्द जाखड अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 4

::आदेश :: दिनांक :–17.09.2021

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 28.05.2019 को अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन–पत्र प्राप्त किया गया था, उसकी पुश्त पर की गई रिपोर्ट जिसमें रिकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का दर्ज किया गया है। प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है। इस प्रकार आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.08.2011 का रिकॉर्ड उपलब्ध ना होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करना सम्भव नहीं है। न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड मंगवाये जाने पर तथा रिकॉर्ड आने पर प्रमाणित प्रतिलिपि आदेश दिनांक 23.08. 2011 प्राप्त कर पेश कर दी जावेगी। दिनांक 23.08.2011 को ना तो अपीलांट को शिविर पंचायत समिति श्रीगंगानगर लगने की कोई जानकारी रही, ना ही अपीलांट को कोई शौकाज नोटिस जारी किया गया, ना ही बुलाया , सुना गया, ना ही अपीलांट ने उपरोक्त खाता में से केवल मात्र मुरब्बा नम्बर 2 की भूमि के खाता विभाजन की सहमति दी, ना ही अन्य सहखातेदारों को बुलाया गया , ना ही सुना गया। इस प्रकार आदेश जेर अपील गलत यकतरफा होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो कोई कानूनी प्रकिया अपनायी तथा ना ही कानूनन पूरे खाता के स्थान पर एक ही मुरब्बा अर्थात मुरब्बा

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

नम्बर 02 की भूमि का कानूनन विभाजन किया जा सकता है क्योंकि मुरब्बा नम्बर 2 की ना केवल काफी कीमती भूमि है बल्कि मौके की भूमि है, इसलिए भी कानूनन विभाजन नहीं किया जा सकता था, इस प्रकार वास्तव में अच्छी भूमि हडपने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने मिलीभगत कर कथित बंटवारा करवाया गया है। यदि सहखातेदारों को बुलाकर कार्यवाही की जाती तो किसी प्रकार से ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय में अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाए सुने पारित किया गया आदेश ना केवल यकतरफा होने से बल्कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना ना होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर विभाजन का आदेश देने का दर्ज किया है, मगर पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट के बारे में कोई स्पष्ट कथन अंकित नहीं किया गया कि इस खाता के समस्त हिस्सेदारों ने सहमति प्रदान की अथवा नहीं। इस प्रकार पटवारी की रिपोर्ट मानने योग्य ही नहीं थी। आज रोज जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर व अवलोकन करने पर पाया गया कि कालांतर में भी दिनांक 01.09.2008 को विभाजन होने का अंकित किया गया है तथा इंतकाल संख्या 319 दर्ज होने का अंकित किया गया है , मगर बाद में तहसीलदार ने स्वयं ही इस इंतकाल को निरस्त कर दिया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वास्तव में अच्छी भूमि हडपने की नियत से ही बार–बार विभाजन का प्रयास किया गया है। तहसीलदार ने जब एक बार इंतकाल स्वीकृत कर दिया तो उसको निरस्त करने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को था। अतः स्पष्ट है कि वास्तव में अच्छी भूमि हडपने का बार–बार प्रयास किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व कोई विधिक व कानूनी प्रकिया नहीं अपनायी बल्कि समस्त काश्तकारों जिनमें अपीलांट भी शामिल है को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलांट कभी भी मुरब्बा नम्बर 2 के विभाजन में सहमत नहीं रहा है, ना ही आज सहमत है बल्कि इस खाता की समस्त भूमि का विभाजन नियमानुसार किया जावें तो अपीलांट को न्याय प्राप्त हो सकता है। अपीलांट को पटवारी हल्का से सर्वप्रथम दिनांक 27.05.2019 को खाता के विभाजन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए मिलने जाने पर आदेश जेर अपील की जानकारी हुई, इससे पूर्व कतई कोई जानकारी नहीं रही। अतः जानकारी प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। प्रार्थना पत्र धारा 5 एक्ट मियाद मय शपथ–पत्र शामिल है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.08.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील तहसीलदार गंगानगर के आदेश दिनांक 23.08.2011 के विरूस्द्व करीब 10 वर्ष बाद पेश की जो मियाद के बाहर है। अतः प्रथमदृष्टया अपील मियाद से बाहर होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित भूमि वर्तमान में काफी कीमती है जिसके कारण अपीलार्थीगण को लालच आना स्वभाविक है जबकि तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये गये अभियान ''प्रशासन गांवों के संग अभियान'' में उक्त आदेश पारित किया गया जिसका ज्ञान नहीं होना सम्भव नहीं है। अपीलांट भूमि कीमती होने के करीब 10 वर्ष बाद उक्त अपील लेकर आये है। जिसे खारिज फरमाया जावें।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2011 पारित करते समय ना तो अपीलांट को कोई शौकाज नोटिस जारी किया गया, ना ही बुलाया , सुना गया, ना तो अपीलांट को शिविर पंचायत समिति श्रीगंगानगर लगने की कोई जानकारी रही, न ही अपीलांट ने उपरोक्त खाता में से केवल मात्र मुरब्बा नम्बर 2 की भूमि के खाता विभाजन की कोई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सहमति दी, ना ही अन्य सहखातेदारों को बुलाया गया , ना ही सुना गया। इस प्रकार आदेश जेर अपील गलत यकतरफा होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय बिना कानूनी प्रकिया अपनाये मुस्तरका खाता में से एक ही मुरब्बा अर्थात मुरब्बा नम्बर 02 की भूमि का जो विभाजन किया गया वहा कानूनन विभाजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मुरब्बा नम्बर 2 की ना केवल काफी कीमती भूमि है बल्कि मौके की भूमि है, इसलिए भी कानूनन विभाजन नहीं किया जा सकता था, इस प्रकार वास्तव में अच्छी भूमि हडपने की नियत से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने मिलीभगत कर कथित बंटवारा करवाया गया है। यदि सहखातेदारों को बुलाकर कार्यवाही की जाती तो किसी प्रकार से ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय में अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित पक्षकार को बुलाए सुने पारित किया गया आदेश ना केवल यकतरफा होने से बल्कि न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों की पालना ना होने से निरस्तनीय है। मियाद के सम्बन्ध में मेरे द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरे अपील आदेश पारित करने से पूर्व अगर विवादित भूमि से सम्बन्धित खातेदारों को शौकाज नोटिस जारी किये जाते तो उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को होती परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई शौकाज नोटिस जारी नहीं किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने मिलीभगत कीमती भूमि हडपने के लिए आदेश पारित करवाया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी।अपीलांट को पटवारी हल्का से सर्वप्रथम दिनांक 27.05.2019 को खाता के विभाजन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए मिलने जाने पर आदेश जेर अपील की जानकारी हुई, इससे पूर्व कतई कोई जानकारी नहीं रही। अतः जानकारी प्राप्त होने से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.08.2011 को निरस्त फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा आदेश दिनांक 23.08.2011 जो '' प्रशासन गांव के संग अभियान'' में पारित किया गया की जानकारी अपीलांट को होना प्रमाणित नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 02/2011 अनवानी बलदेव सिंह बनाम बैसाखा सिंह में पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के अलावा किसी सहखातेदार को कोई शौकाज नोटिस जारी नहीं किया गया हैं। मुश्तरका खाता में खाता विभाजन किये जाने से पूर्व समस्त सहखातेदारों को सुनवाई का शौकाज नोटिस जारी कर एवं सहमति अनुसार ही खाता विभाजन किया जाना चाहिए था जो प्रथमदृष्टया रिकॉर्ड से प्रमाणित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ता 4 की आपसी सहमति प्राप्त कर उक्त आदेश पारित किया गया जो विधिसम्मत् नहीं है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2011 निरस्त किया जाकर उसकी पालना में भरा गया इन्तकाल संख्या 388 दिनांक 23.08.2011 भी निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में सभी पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् आदेश पारित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 17.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)